मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ

पत्रांक– 670 प्रनि/मविविनिलि/कैम्प दिनांक 24/08/2009

कार्यालय ज्ञाप

जोन/मण्डल/खण्ड स्तर पर विभिन्न जमा योजनाओं यथा सांसद निधि, विधायक निधि, राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिला योजना, पूर्वांचल निधि, पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि आदि एवं विभिन्न उपभोक्ताओं (जिनमें शासकीय विभाग भी शामिल हैं) द्वारा संयोजन लेने एवं अन्य कार्य हेतु जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों हेतु इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों का अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **राशि हस्तान्तरण**– जमा योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा कराने वाले सभी वितरण, निर्माण, परीक्षण एवं कार्य खण्ड आदि द्वारा जमा करायी गयी धनराशि खण्ड के खाते में प्राप्ति की तिथि से 3 दिन के अन्दर ड्राफ्ट द्वारा **"मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ"** के नाम लखनऊ में भुगतान हेतु तैयार कराकर प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक ड्राफ्ट बनवाया जाये। प्रत्येक ड्राफ्ट के साथ लगाये जाने वाले अग्रेषण पत्र में ड्राफ्ट में अंकित कुल धनराशि का मदवार विवरण यथा केन्द्रीयकृत सामग्री, विकेन्द्रीकृत सामग्री, श्रमांश, सुपरविजन चार्जेज, सिक्युरिटी, सिस्टम लोडिंग चार्जेज, रोड कटिंग आदि अंकित किया जायेगा।

2. **पैकेज का अनुमोदन**– जमा योजना के अन्तर्गत रू0 एक करोड़ तक के पैकेज का अनुमोदन भलीभाँति जांच के उपरान्त तथा संबंधित प्राविधानों का परीक्षण करते हुए उस खण्ड से संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल द्वारा निर्गत किया जायेगा। रू0 50 लाख से एक करोड़ तक के कार्यों के पैकेज के अनुमोदन से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनिवार्यतः स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। रू0 एक करोड़ से अधिक के पैकेज का अनुमोदन उपरोक्तानुसार संबंधित वितरण जोन के मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसके लिए उनके द्वारा स्वयं अनिवार्य स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। प्राक्कलन/पैकेज में पाई गई किसी भी त्रुटि के लिए रू0 एक करोड़ तक के कार्यों के लिए अधीक्षण अभियन्ता तथा रू0 एक करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

3. **सामग्री का निर्गमन**– मुख्यालय पर धनराशि प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर महाप्रबन्धक (वित्त) के स्तर से धनराशि प्राप्ति की पुष्टि संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त संबंधित भण्डार खण्ड/केन्द्र को पृष्ठांकित की जायेगी, जिसमें पैकेज संख्या एवं प्राप्त धनराशि का सुस्पष्ट उल्लेख होगा। भण्डार खण्ड/केन्द्र द्वारा उक्त पुष्टि स्वरूप निर्गत किये गये पत्र/पर्ची के आधार पर सामग्री निर्गत की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में महाप्रबन्धक (वित्त) से दूरभाष पर धनराशि की पुष्टि कर सामग्री निर्गत की जा सकेगी, जिसकी पुष्टि स्वरूप निर्गत किया जाने वाला पत्र/पर्ची आगामी 7 दिनों में अनिवार्य रूप से खण्ड/केन्द्र द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(भुवनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक–670 प्रनि/मविविनिलि/कैम्प/तद्दिनांक 24/08/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लेसा/लखनऊ/बरेली/फैजाबाद।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/(कार्य)/(जानपद), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण मण्डल–पंचम, लेसा, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (वित्त), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, लखनऊ/फैजाबाद/बरेली।

GM(F)/SE(T)/EE(MM)

निदेशक (तकनीकी) 25/08
म० वि० वि० नि० लि०

प्रबन्ध निदेशक